झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद/ अपीलवाद संख्या...13... वर्ष 20..24..

विविधवाद/ प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्री अनुप श्रीवास्तव,
पता - संजय वर्मा, बोलाईडीह,
रोड नं0 09, पो0. गम्हरिया,
सरायकेला-खरसावाँ ।

वाद प्रारंभ की तिथि.
12/06/2024

बनाम

प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदा0, प0 सिंहभूम ।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

<table>
<tr><th>आदेश की तिथि</th><th>हस्ताक्षरयुक्त आदेश</th><th>कार्यालय अभ्युक्ति</th></tr>
<tr><td></td><td>

<u>वाद सं0–13 / 2024</u>

श्री अनुप श्रीवास्तव, पता–संजय वर्मा, बोलाईडीह, रोड नं0–09, पो0–गम्हरिया, सरायकेला–खरसावाँ, पिन–832108 का अपील आवेदन व्हाटसएप्प के माध्यम से आयोग को प्राप्त हुआ है।

अपीलकर्ता द्वारा जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी–सह–अपर उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम के समक्ष किये गये परिवाद पत्र में उनके द्वारा दिनांक–23.03.2024 को पारित आदेश पर आपत्ति व्यक्त करते हुए आयोग के समक्ष अपील दायर किया गया है।

प्राप्त परिवाद पत्र पर आयोग स्तर से सुनवाई किये जाने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–27.06.2024 को निर्धारित की जाती है।

प्रस्तुत मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम को प्रतिवादी बनाया जाय। प्राप्त परिवाद–पत्र की प्रति प्रतिवादी को भेजते हुए उक्त सुनवाई के दौरान जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम को सशरीर आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर एवं अपीलकर्ता को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखने हेतु उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें।

दिनांक–27.06.2024 को अपराह्न 12:00 बजे रखें।

12.6.24
(शबनम परवीन)
सदस्य,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
राँची।

</td><td></td></tr>
</table>